

Serial No. 90 /2014

EASTERN RAILWAY

No. E.1140/0/Pt. II

Kolkata, date 5th August, 2014.

All Concerned.

Sub:- Request transfers of employees from one seniority unit to other seniority unit in GP Rs. 1800 (PB-1), without insisting minimum educational qualifications of class X or ITI or equivalent.

The following Copy of Railway Board's letter No. E(NG) I - 2013/TR/7 dated 25.07.2014 (RBE No. 82/2014) on the above mentioned subject is forwarded for information guidance and necessary action.

(S. Ganguly)

Asstt. Personnel Officer/R & Bill
For Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. E(NG) I - 2013/TR/7 dated 25.07.2014 (RBE No. 82/2014) addressed to the General Managers, All Indian Railways and others.

Sub:- Request transfers of employees from one seniority unit to other seniority unit in GP Rs. 1800 (PB-1), without insisting minimum educational qualifications of class X or ITI or equivalent.

The question whether erstwhile group 'D' employees recruited prior to cut off date of 31.07.2011 without possessing the revised qualifications of 10th class or ITI, may be allowed to seek request transfer on bottom seniority in the grades having element of direct recruitment, has been engaging attention of the Board for quite some time.

2. Accordingly, the matter has been considered by the Board and it has been decided that:

- (a) Persons recruited /engaged/appointed prior to 31.07.2011 in GP 1800 and below (-) IS, without the prescribed educational qualification may be considered eligible to seek transfer on request, in recruitment grade on bottom seniority, subject to the condition that they will be placed in the relevant grade pay/scale of pay vis-a-vis in their parent unit.
- (b) if the candidates in GP 1800 and below (-) IS, appointed on compassionate ground, loss of land, accident victims and LARSGESS, make a request for transfer within a period of 5 years, it may be considered even if they do not have the required qualification subject to the condition that they will carry the same grade pay as they were working in the earlier place and will be placed at the bottom seniority.

3. Other terms and condition (s), in effecting such transfer will remain unaltered.

This disposes of NFIR's letter No. IV/Committee (Trackmen)/2010/Pt. II dated 22.11.2013 and DLW's letter No. W.P./S/IRT/Hy/NR to DLW/46 dated 20/09/2013.

Index No. 1078: Request transfers of employees from one seniority unit to other seniority unit in GP Rs. 1800 (PB-1), without insisting minimum educational qualifications of class X or ITI or equivalent.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)-2013/टीआर/7

दिनांक 25.07.2014

महाप्रबंधक (पी);
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: दसवीं कक्षा अथवा आईटीआई अथवा इसके समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर जोर दिए बिना ग्रेड पे र 1800/- (पीबी-1) में एक वरिष्ठता इकाई से दूसरी वरिष्ठता इकाई में कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण।

यह प्रश्न कि क्या 31.07.2011 की निर्धारित तारीख से पूर्व भर्ती किए गए पूर्ववर्ती ग्रुप "डी" कर्मचारियों को दसवीं कक्षा अथवा आईटीआई की संशोधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए बिना सीधी भर्ती के तत्व वाले ग्रेडों में निम्नतम वरिष्ठता पर अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण करने की अनुमति दी जा सकती है, कुछ समय से बोर्ड के ध्यान में आया है।

2. तदनुसार, बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि:

(क) : निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए बिना ग्रेड पे 1800 और (-) 1एस से नीचे के किसी पद पर 31.07.2011 से पूर्व भर्ती/नियुक्त किए गए व्यक्तियों को इस शर्त पर न्यूनतम वरिष्ठता पर भर्ती ग्रेड में अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण करने के लिए पात्र माना जाए कि उन्हें उनकी मूल इकाई के अनुसार संबद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में रखा जाएगा।

(ख) : यदि अनुकम्पा के आधार पर, भूमि गंवाने, दुर्घटना पीड़ित और एलएआरएसजीईएसएस के आधार पर नियुक्त ग्रेड पे 1800 और (-) 1एस से नीचे के उम्मीदवार 5 वर्षों की अवधि के भीतर स्थानांतरण का अनुरोध करते हैं तो उस पर उनके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद इस शर्त पर विचार किया जा सकता है कि उन्हें वही ग्रेड पे दिया जाएगा जिसमें वे पूर्व स्थान पर कार्य कर रहे थे और उन्हें निम्नतम वरिष्ठता पर रखा जाएगा।

3. इस प्रकार के स्थानांतरण पर लागू होने वाली अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

इससे एनएफआईआर के दिनांक 22.11.2013 के पत्र सं. IV/कमिटी(ट्रैकमेन)/2010/पार्ट.II और डीएलडब्ल्यू के दिनांक 20.09.2013 के पत्र सं. डब्ल्यू पी./एस/आईआरटी/हे/एनआर से डीएलडब्ल्यू/46 का निपटारा हो जाता है।